(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1488–दो/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2004 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना – प्रकरण कमांक 105/98–99 अपील

रघुनाथ सिंह पुत्र लख्मी सिंह
ग्राम फरके का पुरा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ––अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर भिण्ड –– रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(रिस्पाण्डेन्ट के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 5 –2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 105/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–2004 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम पुरा मौजा गोअरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 290 पर उसका 20 साल से कब्जा है इसलिये इस भूमि को काविलकास्त घोषित का उसे आवंटित की जावे। कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण कमांक 15/1998–99 अ 59 पंजीबद्ध किया एंव अपीलांट के आवेदन की जांच कराकर आदेश दिनांक 6–8–99 पारित किया तथा

अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 105/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-8-2004 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम पुरा मौजा गोअरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 290 की खसरे में नोईय्यत पोखर दर्ज है। कलेक्टर व्दारा जब अपीलांट के आवेदन की जॉच कराई गई , जॉच अधिकारी ने बताया है कि ग्राम के नागरिकों के यहॉ विवाह समारोहों उपरांत उक्तांकित भूमि पर पोखर होने से मोहर सिराये जाते हैं तथा इस भूमि के अतिरिक्त ग्राम में इस कार्य के लिये ग्रामीणों के उपयोग हेतु दूसरी भूमि भी नहीं है। वैसे भी वर्तमान में शासकीय भूमि के आवंटन पर रोक लगी होने से विचाराधीन अपील में अपीलांट को किसी प्रकार की सहायता दिया जाना संभव नहीं है जिसके कारण प्रस्तुत अपील व्यर्थ है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 105/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-8-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर